माह नवम्बर 2023 को थाना पुरोला पर एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी कि मो0 नं०- 8794123680, 8130928058 (नाम पता अज्ञात) द्वारा वादी को झांसे में लेकर विदेशी करेन्सी का लालच देकर रु0 7,45400/- हड़प कर धोखाधड़ी की गयी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना पुरोला पर धारा-420 भा०द०वि० में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्री अर्पण यदुवंशी द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं धनराशि बरामदगी के सम्बन्ध में सी0ओ0 बडकोट एवं थानाध्यक्ष पुरोला को जरुरी दिशा-निर्देश दिये गये। विवेचना के दौरान उक्त मामले में छत्रपुर मेहरौली नई दिल्ली निवासी अमेची नामक व्यक्ति का संलिप्त होना प्रकाश में आया, पुलिस उपाधीक्षक बडकोट श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष पुरोला श्री अशोक कुमार ने नेतृत्व में गठित एसओजी एवं थाना पुरोला पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी व तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुये अभियुक्त अमेची की जानकारी व लोकेशन खंगालकर अभियुक्त को राम कॉलोनी छतरपुर मेहरौली नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से धोखाधडी मे प्रयुक्त किये जा रहे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद की गयी है, अभियुक्त को कल मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जालसाज अमेची द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह विभिन्न फोनों को wi-fi व ब्राडबैण्ड से कनेक्ट कर फेसबुक, व्हाटस्एप्प के माध्यम से लोगों को कॉल अथवा मैसेज के जरिए झांसे में लेकर ठगी करता है। अगस्त 2021 में वह बिजनेस वीजा पर नाईजिरिया से नई दिल्ली आया व छतरपुर में किराये के फ्लैट में रह रहा था। उसके द्वारा फेसबुक पर एक विदेशी महिला की फोटो लगाकर फेक फेसबुक प्रोफाइल बनायी गयी थी जिससे वह कई लोगों से चैटिंग अथवा फोन नम्बर लेकर बात कर झांसे मे फंसाकर एम्बैसी में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त- AMECHI S/O CHIBUKO R/O AGUBU UMUMBA (NIGERIA) हॉल पता- फर्स्ट फ्लोर F-152 राम कॉलोनी (नियर कुन्दन पब्लिक स्कूल) छतरपुर मेहरौली नई दिल्ली उम्र- 36 वर्ष